



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE,  
GANDHINAGAR  
सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009  
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009  
Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स 35/2017/जी.एस.टी.

**Trade Notice No. 35/2017/ GST**

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The below listed Notifications/Circulars/Orders issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications/Circulars are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र/ आदेश की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है।

क्रम	अधिसूचना/परिपत्र सख्या	दिनांक	फ़ा सख्या
1	Circular No. 18/18/2017-GST	16.11.2017	F. No. 354/320/2017-TRU-Pt.1
2	Circular No. 19/19/2017-GST	20.11.2017	F. No. 354/263/2017- TRU
4	Circular No. 21/21/2017-GST	22.11.2017	F. No. 354/320/2017- TRU(Pt)

अधिसूचना/परिपत्र स्वतः स्पष्ट है।

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मण्डल और क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओं के ध्यान में ला दें ।

All JDC/JAC of CGST & C.Ex., Gandhinagar are directed to bring this to the notice of all officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को निदेश दिये जाते है कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दें।

*संयुक्त आयुक्त*

30.11.17

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गांधीनगर

दिनांक : 27.11.2017

फा.सं. IV / 16-21 / MP / 2017-TN

प्रतिलिपि प्रेषित: प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक(प्रणाली), केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गांधीनगर को, विभागीय डाक सूची के अनुसार इस परिपत्र एवं अधिसूचना का परिसंचरण करने के लिए।

Copy to: 1. The Administrative Officer (ADM), HQ, CGST & C.Ex., Gandhinagar,  
2. The Superintendent, System, H.Q., CGST & C.Ex. Gandhinagar